कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/ जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांकः 04.01.2021 के तहत निवेदिता यादव व्याख्याता, जीव विज्ञान का स्थानान्तरण जयसिंह राउमावि, खेतड़ी, झुंझुंनू से राउमावि, मकराना, नागौर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व निवेदिता यादव द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 560/2021 निवेदिता यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 560/2021 में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 27.01.2021 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एवं राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में निवेदिता यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर विभागीय दिशा निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के अन्तर्गत निस्तारित करने एवं अपना पदस्थापन राउमावि, नालपुर, खेतड़ी, झुंझुंनू अथवा राउमावि, भीर, बुहाना, झुंझुंनू में व्याख्यात जीव विज्ञान के रिक्त पद पर लगाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी निवेदिता यादव से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। निवेदिता यादव, व्याख्याता, जीव विज्ञान को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर इनका समायोजन राउमावि, नालपुर, खेतड़ी, झुंझुंनू में व्याख्याता जीव विज्ञान के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/निवेदिता यादव/560/को.के/21 दिनांकः–10/02/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर